

भारतीय चुनावों में NOTA का वकिल्प

प्रलिम्स के लिये:

<u>लोकप्रतिनिधितिव अधिनियिम, 1951, NOTA, नियम 49-0, भारत का निर्वाचन आयोग, सामान्य वित्तीय नियम, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल</u>

मेन्स के लिये:

'नरि्वरिोध नरि्वाचित होने' के परिणाम, लोकप्रतनिधित्व अधनियिम, 1951, NOTA की प्रभावशीलता

सरोत:इंडयिन एकसप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में <u>लोकसभा</u> चुनाव में एक उल्लेखनीय परिणाम देखने को <mark>मला, जिसमें NOTA (उपर्युकत में से कोई नहीं)</mark> विकल्प को 2 लाख से अधिक मत प्राप्त हुए, जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में NOTA के लिये अब तक का सबसे अधिक मत प्रतिशत है।

भारतीय चुनावों में NOTA क्या है?

- परचिय:
 - यह मतपत्रों और इलेकट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMS) पर मतदान का एक विकल्प है जो मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार को चुने बिना सभी उम्मीदवारों के प्रति अपनी असहमति दर्शाने की अनुमति देता है।
 - NOTA मतदाताओं को मतदान के प्रति अपने नकारात्मक विचार और दावेदारों के प्रतिसमर्थन की कमी को व्यक्त करने का अधिकार देता है।
 - यह उन्हें अपने निर्णय की गोपनीयता बनाए रखते हुए अस्वीकार करने का अधिकार देता है।
- पृष्ठभूमिः
 - ॰ वर्ष 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में <mark>विधि आयोग</mark> ने **50%+1 मतदान प्रणाली के साथ-साथ नकारात्मक मतदान की अवधारणा की सफारिश की**, लेकिन व्यावहारिक चुनौतियों के कारण इस मामले पर कोई अंतिम सिफारिश नहीं दी गई।
 - सितंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) को मतदाताओं की पसंद की गोपनीयता की सुरक्षा के उपाय के रूप में NOTA विकल्प पेश करने का निर्देश दिया।
 - पीपुल्स यूनियन फॉर सविलि लिबर्टीज़ (PUCL) ने वर्ष 2004 में मतदाताओं के 'गोपनीयता के अधिकार' की रक्षा के उपायों की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।
 - उन्होंने तर्क दिया कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 ने गोपनीयता पहलू का उल्लंघन किया क्योंकि पीठासीन अधिकारी (ECI से) उन मतदाताओं, जिन्होंने वोट नहीं देने का विकल्प चुना, के हस्ताक्षर या अँगूठे के निशान के साथ रिकॉर्ड रखता था।
- NOTA का प्रथम प्रयोग:
 - NOTA का पहली बार प्रयोग वर्ष 2013 में पाँच राज्यों छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों
 में तथा बाद में वर्ष 2014 के आम चुनावों में किया गया था।
 - ॰ इसे वर्ष 2013 में **PUCL ?!?!?!?! ?!?!?!?! ?!?!?!?!?!?! में सर्**वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया गया था।

यद NOTA को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हो तो क्या होगा?

भारत का निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि NOTA के रूप में डाले गए वोटों की गनिती की जाती है, लेकिन उन्हें 'अमान्य वोट' माना जाता
है।

- यदि NOTA को किसी निर्वाचन कुषेत्र में सबसे अधिक मत प्रापत हों, तो ऐसी सुथिति मेंद्रसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले अगले उममीदवार को विजेता घोषति कथा जाता है। अतः NOTA को दिये गए मत चुनाव के परिणाम को नहीं बदलते हैं।
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय NOTA को सबसे अधिक मत मलिने की स्थिति में दिशा-निर्देश/नियमों की मांग करने वाली एक याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें चुनाव को रदद करने और नए चुनाव कराने की संभावना भी शामिल है।
 - महाराष्ट्र, हरियाणा और पुद्दुचेरी जैसे कुंछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही NOTA को "काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार'' घोषति कर दिया है, जहाँ NOTA को बहुमत मलिने पर पुनः चुनाव कराए जाते हैं।

NOTA से संबंधति ऐतिहासिक निर्णय क्या हैं?

- - ॰ **उचचतम नयायालय** ने माना कि "मतदान किसी वयकति दवारा किसी विषय या मुददे पर अधिकार का परयोग करने के लिये इचछा या राय की औपचारिक अभवियकति है" और मत देने के अधिकार से तातृपर्य प्रस्ताव या संकल्प के पक्ष में या उसके वरिद्ध अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार से है।
 - ऐसा अधिकार तटस्थ रहने के अधिकार को भी दर्शाता है।
- पीपलस यनियन फॉर सविलि लिबरटीज़ एवं अनय बनाम भारत संघ एवं अनय मामला, 2013:
 - उच्चतम न्यायालय ने EVM पर "इनमें से कोई नहीं" (NOTA) बटन का प्रावधान अनविार्य कर दिया है, ताक मितदाता गोपनीयता बनाए रखते हुए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के प्रति असंतोष व्यक्त कर सकें।
 - ॰ न्यायालय की 3 जजों की बेंच ने कहा कि "चाहे मतदाता अपना मत डाले या न डाले, दोनों ही मामलों में गोपनीयता बनाए रखनी होगी।"
 - यह नरिणय मतदाताओं को सशक्त बनाकर तथा निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को बढ़ाने के लिये लिया गया।
- [?||?||?||?||?||?||?||?||?||?||?|. 2018:
 - ॰ सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि प्रत्यक्ष चुनावों में NOTA का विकल्प उपयोगी हो सकता है, परंत्यह राज्यसभा चुनावों के लिये उपयुक्त नहीं है।
 - ॰ न्यायालय का मानना था कि इन चुनावों में NOTA का पुरयोग **लोकतंत्र को हानि** पहुँचा सकता है तथा दलबदल और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे he Visio
 - इसलिये, न्यायालय ने राज्यसभा चुनाव से NOTA विकल्प हटा दिया।

अन्य लोकतांत्रिक देशों में NOTA जैसी पहल

- यूरोपीय देश: फनिलैंड, स्पेन, स्वीडन, फ्राँस, बेल्जियम, ग्रीस अपने मतदाताओं को NOTA के समान मत डालने की अनुमति देते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका:
 - ॰ संयुक्त राज्य अमेरिका में **मतपत्रों पर औपचारिक NOTA विकल्प नहीं है** , कुछ राज्य लिखति मतों की अनुमति देते हैं, जो समान उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।
 - मतदाता असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में "इनमें से कोई नहीं" या अन्य नाम लिख सकते हैं।
- कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राजील, बांग्लादेश जैसे अन्य देश भी मतदाताओं को NOTA पर मत डालने की अनुमति देते हैं।
- NOTA विकलप के पक्ष में तरक:
 - ॰ मतदाताओं की पसंद को बढ़ाता है: NOTA विकल<mark>प मतदा</mark>ताओं को मतपत्तर में सभी उममीदवारों को असवीकार करने की कृषमता परदान करके उन्हें सशक्त बनाता है, जिससे वे उप<mark>लब्ध विकल्</mark>पों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर सकते हैं।
 - बढ़ी हुई राजनीतिक जवाबदेही: NOTA का अस्तितिव राजनीतिक दलों तथा उममीदवारों को बेहतर, अधिक सक्षम और अधिक नैतिक प्रतिनिधियों को मैदान में उतारने के लिये मजबूर करता है, क्योंकि मतदाताओं के असंतुष्ट होने पर उन्हें वोट खोने का ज़ोखिम होता है।
 - े मतदाता असंतोष की पहचान: NOTA वोट से चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को मतदाताओं के असंतोष के स्तर के बारे में बहुमूल्य फीडबैक मिल सकता है, जिसका समाधान किया जा सकता है।
- NOTA विकल्प के वरिद्ध तरक:
 - ॰ चुनावी मुलय न होना: NOTA वोट केवल परतीकातमक हैं और चुनाव के परिणाम को परभावित नहीं करते हैं। भले ही NOTA को बहमत प्राप्त हो, फरि भी सबसे अधिक वोट शेयर वाला उम्मीदवार जीतता है।
 - ॰ दुरुपयोग की संभावना: ऐसी चिताएँ हैं कि NOTA विकल्प का दुरुपयोग मतदाताओं द्वारा उपलब्ध उम्मीदवारों को वास्तविक रूप से अस्वीकार करने के बजाय, प्रणाली के विरुद्ध विरोध व्यक्त करने के लिये किया जा सकता है।
 - ॰ जातिगत पूर्वाग्रह: कुछ मामलों में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में NOTA को मिल अधिक वोट कुछ जातियों के उम्मीदवारों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं, जो NOTA के उद्देश्य को कमज़ोर कर सकते हैं।
 - ॰ **परतिनिधि लोकतंतर को कमज़ोर करता है:** NOTA विकलप परतिनिधि लोकतंतर के सिद्धांतों को कमज़ोर करता है, कयोंकि यह विजयी उम्मीदवार को स्पष्ट जनादेश प्रदान नहीं करता है।

आगे की राह

• **पुनरनरिवाचन:** यदि NOTA को सबसे अधिक मत प्रापत होते हैं, तो उस नरिवाचन कृषेत्र में नए उममीदवारों के साथ **पुनः चुनाव** कराया जाना

चाहयि ।

- उदाहरण के लिये वर्ष 2018 में महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यदि NOTA को सबसे अधिक वैध मत प्राप्त होते हैं, तो चुनाव दोबारा होगा।
- उम्मीदवारों पर प्रतिबंध: NOTA से कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पुनर्निरवाचन में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।
 - इसी प्रकार हरियाणा के SEC ने नगरपालिका चुनावों में NOTA को एक 'काल्पनिक उम्मीदवार' माना।
 - NOTA से कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पुनर्निर्वाचन में भाग लेने से अयोग्य घोषति कर दिया जाएगा।
- **उम्मीदवारों पर लागत:** NOTA से हारने वाले राजनीतिक दलों को पुनर्निर्वाचन का खर्च वहन करना चाहिये। **पुनर्निर्वाचन** के दौरान बार-बार चुनाव होने से रोकने के लिये NOTA बटन को निष्करिय किया जा सकता है।
- जागरुकता: NOTA असहमति की आवाज़ प्रदान करता है, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिये मतदाता जागरुकता बढ़ाने के प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं।





भारत निर्वाचन आयोग





परिचय

- स्वायत्त संवैधानिक निकाय
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- स्थापना- 25 जनवरी, 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान

भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचन

- 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)
- कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र
- मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ता

प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना
- चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- राजनीतिक दलों के लिये "आदर्श आचार संहिता" जारी करना



निष्कर्षः

भारतीय चुनावों में NOTA विकल्प ने मतदाता की पसंद, राजनीतिक दलों की जवाबदेही और चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी के बारे में महत्त्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। यह मतदाताओं को मतदान करने और चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार किये बिना किसी भी उम्मीदवार से अपनी स्वीकृति वापस लेने का एक तरीका प्रदान करता है। इसका उद्देश्य विरोध में डाले गए वोटों को औपचारिक रूप से गिनने योग्य बनाना है। यह राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के क्षेत्र के प्रतिलोकप्रिय असंतोष की डिग्री को दर्शाता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्नः

भारतीय चुनावों में NOTA (इनमें से कोई नहीं) विकल्प की प्रभावशीलता और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। चुनावी प्रक्रिया पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिये और इस संस्थागत तंत्र को मज़बूत करने के उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

?!?!?!?!?!?!?!?:

परश्न. निमनलखिति कथनों पर विचार कीजियै: (2017)

- 1. भारत का निर्वाचन आयोग पाँच-सदस्यीय निकाय है।
- 2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
- 3. निर्वाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवाद निपटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

[?][?][?][?][:

प्रश्न. भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिये भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (2017)

प्रश्न. आदर्श आचार संहताि के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (2022)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nota-option-in-indian-elections